हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	बमुक: भगवान देई vs रमेश
15/6/18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान - न्याय आपके द्वार कैम्प रबानी में पेश हुई। पक्षकार हाजिर, सुनवाई की गयी। वादीगण द्वारा यह वाद अपनी माँ के पिता की पुश्तैनी आराजी में से अपनी माँ के भाई से अपना हिस्सा चाहने हेतु प्रस्तुत किया है। वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी उनके नाना के नाम थी। जिसमें उनकी माँ का हिस्सा बनता है उसका उन्हें वारिसान [illegible] किया जावे। मामले रिकार्ड के चर्चा एवं [illegible] की सभी तरह रिकार्ड पटवार देखा गया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह बताया कि विवादित आराजी उसके पास विरासत से न आकर पंजीकृत विक्रय पत्र से आयी है। पटवार रिकार्ड देखा गया। जिसमें विवादित आराजी ख.नं. 3852 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा स्थित ग्राम अनन्तपुरा प्रतिवादी सं. 1 के नाम विक्रय पत्र से आने की पुष्टि पायी गयी। मामले मौके के उपस्थित ग्रामीणों द्वारा भी ऐसा बताया गया। इसलिए विवादित आराजी में वादीगण का कोई हिस्सा नहीं बनता है। अतः आदेश है कि दावा वादीगण बाबत आराजी ख.नं. 3852 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा स्थित ग्राम अनन्तपुरा, वादीगण के हक में चलने योग्य न होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018